रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032020-218947
CG-DL-E-28032020-218947

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1087] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2020/चैत्र 7, 1942
No. 1087] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2020/CHAITRA 7, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2020

का.आ.1223(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में परियोजनाओं के कतिपय प्रवर्गों के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति आज्ञापक बनाते हुए का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 प्रकाशित किया है;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, थोक औषधियों और मध्यवर्तियों के बाबत परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में तेजी लाने के लिए आवश्यक समझता है। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड -19) के प्रकोप को कम करने के लिए व्यापक और मजबूत प्रणाली के एक भाग के रूप में, नोवेल कोरोना वायरस (कोविड -19) के समाघात को कम करने के लिए औषधि की उपलब्धता या उत्पादन को सुनिश्चित किया जाना है। मंत्रालय ने यह आवश्यक समझा है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड -19) जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए थोक औषधियों और मध्यवर्तियों की बाबत विनिर्मित सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों और इसी तरह के लक्षणों वाले रोगों को 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के लिए 'बी2' के रूप में वर्गीकृत किया है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात्, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के लिए भारत के

राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, स्तंभ (5) के मद 5 (च) के सामने उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"30 सितंबर, 2020 तक प्राप्त एक्टिव फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएंट्स (एपीआई) की बाबत परियोजनाओं या क्रियाकलापों के सभी प्रस्तावों को श्रेणी 'बी2' परियोजनाओं के रूप में निर्धारित किया जाएगा, परन्तु 30 सितंबर, 2020 के पश्चात् कोई पश्चात्वर्ती संशोधन या उत्पाद मिश्रण में विस्तार या परिवर्तन उस समय तक प्रवृत्त उपबंधों के अनुसार माना जाएगा।"

[फा. सं. 19-21/2020 – आई ए. III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या का. आ. 751 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2020

S.O. 1223(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 *vide* number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, mandating prior environmental clearance for certain category of projects;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary to expedite the prior Environmental Clearances to the projects or activities in respect of bulk drugs and intermediates. As a part of comprehensive and robust system to handle the Novel Corona Virus (COVID-19) outbreak, drug availability or production to reduce the impact of the Novel Corona Virus (COVID-19) are to be ensured. The Ministry deems it necessary that all projects or activities in respect of bulk drugs and intermediates manufactured for addressing ailments such as Novel Corona Virus (COVID-19) and those with similar symptoms are categorized as 'B2' for a period up to the 30th September 2020, as an interim measure.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the rules in public interest hereby makes the following further amendments in the said notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, for a period up to 30th September 2020 from the date of publication of this notification in the official Gazette, namely:-

In the said notification, in the Schedule, against the item 5(f), in the column (5), after entries relating thereto the following entries shall be inserted, namely:-

"All proposals for projects or activities in respect of Active Pharmaceutical Ingredients (API), received up to the 30th September 2020, shall be appraised, as Category 'B2' projects, provided that any subsequent amendment or expansion or change in product mix, after the 30th September 2020, shall be considered as per the provisions in force at that time.".

[F.No. 19-21/2020-IA.III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended *vide* the notification number S.O. 751(E), dated the 17th February, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.